155

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मन्डल म०प्र० ग्वालियर

R 1311-II/07

निगरानी प्रकरण क्र० , /07

महेन्द्र प्रसाद पटेल तनय शिवशंकर पटेल निवासी मोहल्लाउपहटरीवा,

तहसील हुजूर, जिलारीवा - --------- आवेदक

विरुद्ध

1- म०प्र० राज्य

2- नगर पालिक निगम रीवा द्वारा आयुक्त नगरपालिकनिगमरीवा

------- अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०

भूराजस्व संहिता सन 1959 विरुद्ध आदेश

अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा श्री व्ही०के०

सिंह दिनांक 26-6-07 एवम18-7-07 जो

प्रकरण क्र0403/निगरानी/06-07 मेपारित

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्तनिम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1- अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26-6-07 एवम 18-7-07 सर्वथा विधि विधान एवम प्रक्रिया तथा सिद्धान्तों के प्रतिकूल होनेसे निरस्त होने योग्य है।

2- अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के तथ्यों के सन्दर्भ मे विचार करके कोई भी निष्कर्ष नही निकाला मात्र अना० क्र02 केतरफसे पेश आवेदन के अनुसार अना02 को पक्षकार बनाने सम्बन्धी आदेश जो पारित किया गया तथा आवेदक कीतरफसे प्रस्तुत आपत्ति को न्यायिक तौर पर निराकृत किये बिना जो आपत्तिदिनांक 18-7-07 कोपारित किया गया है

महेन्द्रप्रसाद पटेल

-2

(142)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1311–II/07 जिला–रीवा

महेन्द्र प्रसाद पटेल/शासन, नगरनिगम, रीवा

(1)	(2)	(3)
24.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता कई पेशियों से उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	